Title: Need to safeguard the interests of workers employed in Marble and granite industries in the country particularly in Rajasthan .

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : महोद्य, केन्द्र के बिना शर्त आर्थिक उदारीकरण के तहत 700 उत्पादों को खुले आयात निर्यात के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें मार्बल व ग्रेनाइट भी शामिल है। इस नीति से राज्स्थान का 5000 करोड़ रुपए की पूंजी के निवेश वाला मार्बल व ग्रेनाइट उद्योग चौपट हो जाएगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 31 मार्च, 2000 को घोति आयात निर्यात नीति में चैप्टर 68 के अंतर्गत मार्बल के आयात पर हटाए गए प्रतिबंधों के कारण राज्स्थान के मार्बल उद्योग पर गंभीर संकट के बादल छा गए। भारत में उत्पादित मार्बल का 90 प्रतिशत से ज्यादा मार्बल राज्स्थान में ही खनन एवं प्रोसेस किया जाता है। केन्द्र सरकार को प्रतिवर्ा 200 करोड़ रुपए की आयकर उत्पाद शुल्क आदि से आय होती है। राज्स्थान सरकार को भी लगभग 100 करोड़ रुपए की आय बिक्रीकर एवं रॉयल्टी से होती है। राज्य के लाखों श्रमिक मार्बल की खानों तथा उससे संबंधित प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों में कार्यरत हैं। राज्य के अधिकांश शहर, जैसे- किशनगढ़, राज्समन्द, कांकरोली, आबूरोड, जयपुर, अम्बाजी, अलवर, उदयपुर, मकराना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही आदि की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इसी उद्योग पर आश्रित है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि मार्बल के आयात पर चैप्टर 25 के अंतर्गत वैल्यू कैप की पुनर्स्थापना कर वृद्धि की जाए। कैपिंग वैल्यू को कड़ाई से प्रभाव में लाया जाए तथा गैट के अनुच्छेद 19 के प्रावधान के अनुसार चैप्टर 25 एवं 68 के अंतर्गत आने वाले आइटमों के आयात पर वर्तमान उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त A duty for safeguards/disadvantage quotient लगायी जानी चाहिए।

15.48 hrs.